

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक**  
खनिज भवन सिविल लाईन टोंक  
email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांक:—सख्त / टोंक / निविदा / 2024 /

दिनांक :—

### नीलामी सूचना प्रकाशन 03 / 2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि टोंक जिले के विभिन्न राजस्व ग्रामों के खातेदारी/सरकारी खसरों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान आर.एम.एम.सी.आर. 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जब्तशुदा खनिज बजरी जैसी है उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरें सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न तालिका व विभागीय वेबसाइट [www.mines.rajasthan.gov.in](http://www.mines.rajasthan.gov.in) एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र, 1000/- रु० का डी.डी./बैंकर्स चैक 'सहायक खनि अभियन्ता, टोंक' (ASSISTANT MINING ENGINEER TONK) के नाम से जारी कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 26 सितम्बर 2024 (दोपहर 12 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सिविल लाईन टोंक से प्राप्त कर सकते हैं :—

क्रम सं.	बजरी स्टॉक स्थल	खनिज	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रु.)
1	जिला टोंक ग्राम पंचायत बरौनी के ग्राम मोटूका चैक पोस्ट पर चिन्हित ढेरियों की रूप में पड़ी है।	बजरी	3960	2,17,800	21,78,000
2	जिला टोंक ग्राम मुण्डया मारखेड़ा में खनन पट्टाधारी के बिक्री केन्द्र पर चिन्हित ढेरियों की रूप में पड़ी है।	बजरी	1500	82,500	8,25,000
3	जिला व तहसील टोंक की ग्राम पंचायत मण्डावर में खनन पट्टाधारी के बिक्री केन्द्र पर चिन्हित ढेरियों की रूप में पड़ी है।	बजरी	800	44,000	4,40,000
4	जिला व तहसील टोंक की ग्राम पालडा में खनन पट्टाधारी के बिक्री केन्द्र पर चिन्हित ढेरी की रूप में पड़ी है।	बजरी	120	6,600	66,000

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी :—

- निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्टॉक स्थल का नाम जहां बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी  कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक खनिज भवन, सिविल लाईन टोंक के कमरा नं. ३०१ कर रखे टेण्डर बॉक्स में 26 सितम्बर 2024 (दोपहर 2 बजे) तक डाली जा सकेगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानता राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो सहायक खनि अभियन्ता, टोंक के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि

कोई निविदादाता अलग-2 स्टॉक स्थल की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानता राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी अलग-अलग ही संलग्न करने होंगे।

3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित स्टॉक स्थलपरकिया जा सकता है।
5. जप्तशुदा बजरी स्टॉक स्थल पर जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 26 सितम्बर 2024को सायं 03.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 04 में खोली जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से 10 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एडेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को वस्तु एवं सेवाकर विभाग के जीएसटी संख्या की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावाखनिज रॉयल्टी की डीएमएफटी व आरएसएमईटी तथा कुल मूल्य परGST/Income Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उच्च/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, टॉक द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. सफलतम बोली दाता को परिवहन हेतु अवधि 01 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुमत होगा।
14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वा ली स्टॉक पजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बन्धित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को Whats App पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
16. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधीकृत तुलायन्त्र की वजन पर्ची क्षेत्र के सम्बन्धित ऊपर अंकित को Whats App पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण / परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा टॉक की फोटो वाहनों की तोल पर्चियाँ एवं भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
19. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा। और इस मूल्य में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाइसेन्स की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
21. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना/ई-रवन्ना (टी.पी.) जैसा भी विभागीय निर्देश होगा जारी किया जावेगा।
22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।

(सोहन लाल सुथार)

**सहायक खनि अभियन्ता, टोक**

क्रमांक:-सखअ / टोंक / नीलामी / 2024 /

दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमाननिदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर टोंक।
3. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक।
4. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को नीलामी गार्डलाईन दिनांक 09.07.2019 तथा 05.08.2019 के क्रम में सादर प्रेषित है।
5. श्रीमानअतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
6. श्रीमाननोडल अधिकारी, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्रीमानअधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत्त जयपुर।
8. श्रीमानसूचना सहायक, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

**सहायक खनि अभियन्ता, टोंक**

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक**  
खनिज भवन सिविल लाईन टोंक  
email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांकः—सख्त / टोंक / निविदा / 2024 /

दिनांक :—

**नीलामी सूचना प्रकाशन 03 / 2024**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला टोंक के विभिन्न स्थानों पर निम्नानुसार जब्तशुदा खनिज बजरी के अवैध स्टॉक की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे आमंत्रित की जाती है—

क्रम सं.	बजरी स्टॉक स्थल	खनिज	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना / अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रु.)
1	जिला टोंक ग्राम पंचायत बरौनी के ग्राम मोटूका चैक पोर्स्ट पर चिन्हित ढेरियों की रूप में पड़ी है।	बजरी	3960	2,17,800	21,78,000
	जिला टोंक ग्राम मुण्डिया मारखेड़ा में खनन पट्टाधारी के बिक्री केन्द्र पर चिन्हित ढेरियों की रूप में पड़ी है।	बजरी	1500	82,500	8,25,000
2	जिला व तहसील टोंक की ग्राम पंचायत मण्डावर में खनन पट्टाधारी के बिक्री केन्द्र पर चिन्हित ढेरियों की रूप में पड़ी है।	बजरी	800	44,000	4,40,000
3	जिला व तहसील टोंक की ग्राम पालड़ा में खनन पट्टाधारी के बिक्री केन्द्र पर चिन्हित ढेरी की रूप में पड़ी है।	बजरी	120	6,600	66,000

उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र राशि रु. 1,000/-का डी.डी./बैंकर्स चैक “सहायक खनि अभियन्ता, टोंक” के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 26 सितम्बर 2024 (दोपहर 12.00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, टोंक से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उक्त जब्तशुदा खनिज बजरी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें दिनांक 26 सितम्बर 2024 (दोपहर 02.00 बजे) तक प्राप्त की जायेंगी। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा 26 सितम्बर 2024 को सायं 03:00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष खोली जायेगी, नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय मेनोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एवं नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।

राजस्थान सरकार  
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक  
खनिज भवन सिविल लाईन टोंक  
email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांकः—सखअ / टोंक / निविदा / 2024 /

दिनांक :-

निदेशक,  
निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
सचिवालय राजस्थान, जयपुर।

विषय :— जब्तशुदा खनिज बजरी की सार्वजनिक निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला टोंक के विभिन्न स्थानों पर 6380 टन जब्तशुदा खनिज बजरी के अवैध स्टॉक की नीलामी हेतु सार्वजनिक निविदा आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति 8 आठ प्रतियों में मय सॉफ्टकापी संलग्न कर एक अखिल भारतीय स्तरीय एवं एकराज्यस्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित है। इसका यूबीएन संख्या ..... है।

भवदीय

(सोहन लाल सुथार)  
सहायक खनि अभियन्ता  
टोंक

क्रमांक सखअ / टोंक / निविदा / 2024 /

दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- श्रीमान जिला कलक्टर टोंक।
- श्रीमान पुलिस अधीक्षक टोंक।
- श्रीमान निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग को निवेदन है निदेशालय द्वारा जारी बजरी नीलामी गाईडलाईन दिनांक 09.07.2019 तथा 05.08.2019 एवं राज्य सरकार के अन्य निविदा नियमों के अंतर्गत आदेशार्थ व कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। नोडल अधिकारी डी एम जी ओ एम एस, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- श्रीमान अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर क्षेत्र, जयपुर।
- श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत, जयपुर।
- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी को अधिकाधिक प्रचार प्रसार हेतु।
- श्रीमान खनि अभियन्ता, जयपुर।
- सहायक लेखाधिकारी ग कार्यालय हाजा।
- सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को पेश कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति 8 प्रतियों में मय सॉफ्ट कॉपी के, निदेशालय सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को व्यक्तिशः उपलब्ध करावें एवं पावती प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- कार्यालय नोटिस बोर्ड जिला कलेक्टर, उपखण्ड स्तर कार्यालय, अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत, जयपुर एवं कार्यालय हाजा।

सहायक खनि अभियन्ता, टोंक